Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to grant Non Practising Allowance to Physio and professional Therapist.

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि नॉन प्रैक्टिसिंग एलांउस आधुनिक चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, पशु चिकित्सकों, आयुर्वेद और होम्योपैथी को दिया जा रहा है, यहां तक कि नर्सों को भी नर्सिंग एलाउंस दिया जा रहा है। भौतिक और व्यावसायिक शिक्षकों को काशी विद्यालय सहित तमाम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस नहीं दिया जा रहा है, जबकि वे दिव्यांगजनों और पैरालिसिस इत्यादि से पीड़ित अक्षम मरीजों को उनके घर जाकर सेवा देते हैं। वे ओपीडी वार्ड तथा आईसीयू में दाखिल मरीजों की भी फिजियोथेरेपी करते हैं।

मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि काशी विश्वविद्यालजय सहित तमाम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत भौतिक और व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षकों को उनकी न्यूनतम योग्यता यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परास्नातक हों, उनको समान अधिकार दिलाने हेतु नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस दिया जाए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अर्पिता घोष (बालूरघाट): मैडम, आपको मालूम होगा कि जॉर्ज ओरवेल नाम के एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने 1984 नाम की एक नॉवेल लिखी थी। उसमें जो स्टेट थी, उस स्टेट में ऐसा था कि लोगों के ऊपर स्टेट नजर रख रही

थी और कुछ लोगों को देश से नॉन आइडेंटिफाई कर रहे थे। अभी हमारे देश की ऐसी हालत है कि आधार के बेस पर हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। असम में एनआरसी चालू हुआ है। लोगों को देश से निकालने का बंदोबस्त कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू है। हम आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट यह ...* बंद करे, इसको रोके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ...* नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्रीमती अर्पिता घोष : नहीं तो आगे चलकर देश बहुत खराब स्थिति में आ जाएगा। ...(व्यवधान)